न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 287/17 ((RCMS No. 2017/00306) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

किशन लाल पुत्र भूरा जाति कोली निवासी ग्राम भर्रा तहसील जौरा जिला मुरैना (म.प्र.)

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 09.05.2016 नामा0 सं0 151 दिनांक 06.05.2003 वॉके ग्राम ईटकी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

उपस्थितिः—

1. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री डोरी लाल राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य **दिनांकः—11.12.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 09.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2003 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 151 भरा जाकर दिनांक 06.05.2003 को नायव तहसीलदार सैंपऊ द्वारा तस्दीक किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के न्यायालय में अपील पेश की जो दिनांक 09.05.2016 को खारिज हो गयी। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर के द्वारा सहायक कलक्टर धौलपुर के आदेश की पालना को स्थगित कर दिया था किन्तु तहसीलदार ने मनमाने ढंग से स्थगन आदेश को नजर अन्दाज करते हुऐ अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया। उनका यह भी तर्क है कि भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 17.12.2005 से अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा व खातेदारी मानते हुऐ सहायक कलक्टर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

धौलपुर का निर्णय दिनांक 31.03.2003 निरस्त कर दिया है। उक्त आदेश की कोई अपील नही हुई है। यह आदेश अन्तिम हो गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नही किया है। तहसीलदार ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया कोई नोटिस भी जारी नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय पर कोई गौर नही दिया। जबकि सहायक कलक्टर का निर्णय निरस्त हो गया है तो अधीनस्थ न्यायालय को सहायक कलक्टर के निर्णय के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं नामा0 आदेश निरस्त किये जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि विवादित नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री के आधार पर दर्ज किया गया है। इसलिये नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुना जाना आवश्यक नही है। अपीलान्ट को भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर कार्यवाही करानी चाहिये। अपीलान्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी ख0 नं0 743, 744, 745, 746 वॉके ग्राम ईंटकी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर का नामान्तरकरण 151 सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर के निर्णय दिनांक 31.03.2003 डिक्री इजराय दिनांक 25.04.2003 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 26.04.2003 की पालना में अपीलान्ट के स्थान पर सिवायचक (लगानी) दर्ज कर दिनांक 06.05.2003 को नायव तहसीलदार सैपऊ द्वारा तस्दीक किया गया। सहायक कलक्टर धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2003 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी धौलपुर के न्यायालय में पेश हुई। राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय दिनांक 17.12.2005 से सहायक कलक्टर धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2003 को निरस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर के निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तरकरण सं0 151 स्वतः ही प्रभावहीन हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण की वैधानिकता प्रभावित नही होना माना है जो बिल्कुल उचित आदेश नही है। अधीनस्थ न्यायालय को आरएए के निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश पारित करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.05.2016 एवं नामान्तरकरण संख्या 151 निर्णय दिनांक 06.05.2003 निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर